// कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 264/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 09.07.2026

थाना – मेंहनाजपुर, जनपद – आजमगढ़

☐ पुलिस मुठभेड़ में हत्या के मामले का वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार

☐ शादी समारोह में भोजन करने की बात को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडों से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में 24 घंटे के भीतर मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार

☐ घायल अभियुक्त के कब्जें से अवैध असलहा, कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

☐ घायल अभियुक्त के विरुद्ध हत्या/आपराधिक मानव वध, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, बलवा एवं अन्य गंभीर अपराधों सहित कुल 07 अभियोग पंजीकृत

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मेंहनाजपुर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 08/09.07.2026 की रात्रि थाना मेंहनाजपुर पुलिस एवं वांछित अभियुक्त के मध्य पुलिस मुठभेड़ हुई। दिनांक 07/08.07.2026 की रात्रि शादी समारोह में भोजन करने की बात को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडों से हमला कर युवक की हत्या के मामले में वांछित मुख्य अभियुक्त अजीत यादव उर्फ भन्टा को थाना मेंहनाजपुर पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या/आपराधिक मानव वध, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, बलवा सहित अन्य गंभीर अपराधों के कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक **08.07.2026** को वादिनी श्रीमती चन्द्रकला पत्नी स्व. सुनील राजभर निवासी ग्राम सराय खुरसू थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनाजपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक **07.07.2026** को ग्राम डण्डवल में आयोजित शादी समारोह में भोजन करने की बात को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने उनके पुत्र **प्रितोष राजभर** एवं **ओटू राजभर** के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। मारपीट के दौरान प्रितोष राजभर के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा उपचार हेतु ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनाजपुर पर **मु0अ0सं0 65/2026 धारा 105/115(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अजीत यादव उर्फ भन्टा का नाम प्रकाश में आया तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण:

दिनांक **09.07.2026** को रात्रि लगभग **01:40 बजे**, थाना मेंहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत **करसड़ा नहर पुलिया** के पास पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने लगा, किन्तु उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे फिसलकर गिर गई। स्वयं को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त **अजीत यादव उर्फ भन्टा** के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ भेजा गया। घटना स्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:

अजीत यादव उर्फ भन्टा पुत्र हीरा लाल यादव निवासी ग्राम डण्डवल थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष।

बरामदगी:

- ➡ 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- ➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
- ➡ 01 अदद मोटरसाइकिल।

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ में अभियुक्त अजीत यादव उर्फ भन्टा ने बताया कि वह अपने भाई आशीष यादव एवं अन्य साथियों के साथ ग्राम डण्डवल में आयोजित शादी समारोह में गया था। भोजन करने की बात को लेकर प्रितोष राजभर एवं ओटू राजभर से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सभी ने मिलकर दोनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें प्रितोष राजभर के सिर में गंभीर चोट लगी। घटना के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किए जाने पर उसने बचने के उद्देश्य से पुलिस टीम पर फायरिंग की।

पंजीकृत अभियोग:

1. मु0अ0सं0 **65/2026**, धारा **105/115(2) बीएनएस**, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 **66/2026**, धारा **109(1) बीएनएस** एवं **3/25/27 आर्म्स एक्ट**, थाना मेंहनाजपुर, आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास (अजीत यादव उर्फ भन्टा):

1. मु0अ0सं0 65/2026, धारा 105/115(2) बीएनएस, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 66/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 32/2020, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 73/2021, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 103/2021, धारा 324, 504, 506 भादवि, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 169/2022, धारा 323, 504, 506, 452, 308 भादवि, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 132/2022, धारा 323, 504, 506, 452, 34 भादवि, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:

थाना प्रभारी उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह, उ0नि0 अमित कुमार पाल, उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा, उ0नि0 हरिशंकर यादव, हे0का0 बाबूलाल राजभर, हे0का0 कालिका यादव, हे0का0 गुरूदयाल सिंह, रि0का0 आदर्श यादव, रि0का0 विशाल शर्मा सहित थाना मेंहनाजपुर पुलिस टीम।